कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-व.3(1)पु./वित्त/भत्ता स्वी./विविध/2022 3441 दिनांक:-19-7-2022

01. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,राज.जयपुर।
02. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
03. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज कार्यालय।
04. समस्त पुलिस अधीक्षक,राज.जयपुर मय जीआरपी/ (रेलवे)अजमेर/जोधपुर।
05. समस्त कमाण्डेन्ट,आर.ए.सी. बटा.मय आई.आर.बटा.।
06. प्रधानाचार्य,आर.पीटी.सी. जोधपुर।
07. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल राज.मय एम.बी.सी. खेरवाडा।

विषय:-पुलिस मुख्यालय को भिजवाये जाने विराम भत्ता प्रकरणों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राय: यह देखा गया है कि पुलिस मुख्यालय को भिजवाये जाने वाले दैनिक भत्ता (विराम भत्ता) स्वीकृति प्रकरण/प्रस्ताव अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं, जिससे गृह विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर समय समय पर आपत्ति कर, प्रस्ताव अपेक्षित सूचना हेतु लौटाये जाते हैं। गृह विभाग द्वारा चाही गई सूचनायें हेतु पत्राचार किया जाता है, जिससे समयबद्व स्वीकृति हेतु प्रकरण गृह विभाग द्वारा चाहेनुसार भिजवाया जाना संभव नहीं हो पाता है, जिससे सम्बन्धित कार्मिक को उसके द्वारा प्रस्तुत दैनिक भत्ता दावे का समय से भुगतान नही हो पाता है।

अत: कृपया पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किए जाने वाले विराम भत्ता प्रकरणों में संलग्न प्रोफार्मा में अंकित बिन्दुओं का समावेश अनिवार्य रूप से करते हुये, सॉफ्ट कॉपी home.police@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्मी द्वारा यह प्रमाण-पत्र अंकित करवाया जावें कि ''प्रकरण की जांच कर ली गई है तथा प्रस्तावित स्वीकृति जारी करने की अभिशंषा की जाती है।''

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेश गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार
पुलिस मुख्यालय, राज.,जयपुर।

Kri/a4/475

ADGP/PMDW)

16/05/22

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक एफ.23(क)(4)गृह–2 / 2022

जयपुर, दिनांक 12 MAY 2022

2671
17/5/22

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

PMW Branch
PHQ, RAJASTHAN

17/5/2022

विषयः–यात्रा भत्ता के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग के अ.शा. पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि समय–समय पर पुलिस कार्मिकों के मुख्यालय से बाहर 30 एवं 60 दिवस से अधिक दिवस के लिए की गई यात्रा के लिए विराम भत्ते की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाते हैं। आपके अधीन विभिन्न जिला पुलिस अधीक्षकों/जिला यूनिटों द्वारा एक आदेश जारी कर कई कार्मिकों को मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर भेजा जाता है लेकिन विभाग द्वारा 30 एवं 60 दिवस से अधिक दिवस की विराम भत्ते की स्वीकृति हेतु एक या दो कार्मिकों के लिए प्रकरण तैयार कर विभिन्न चरणों में प्रेषित किए जाते है।

अतः इस संबंध में एक कार्यालय आदेश द्वारा ड्यूटी पर भेजे गए सभी कार्मिकों के संबंध में जिनकी विराम अवधि 30 एवं 60 दिवस से अधिक है, के विराम भत्ते की स्वीकृति हेतु प्रकरण 30 दिवस एवं 60 दिवस के पृथक पृथक तैयार कर एक साथ भिजवाने के आदेश प्रदान करावे। साथ ही दिनांक 22.07.2020 द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा पर भविष्य में भेजे जाने वाले प्रकरण पर विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा के अधिकारी से यह प्रमाण पत्र अंकित करवाया जावें कि " प्रकरण की जांच कर ली गई है तथा प्रस्तावित स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की जाती है। "

3346
17/5/2022

संलग्नः–प्रोफॉर्मा

भवदीय

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

FA
DY. FA
AO-
AAO (A)-
AAO (Hq)-
AAO (B)-
Group-
Date-

Sr. A.O
Pl. ensure that instructions are being followed strictly.
19.5.22

1747
19.5.22

1747
19.5.22

E:\Working Folder\ALL NEW WORK AT DATED 15-03-2022/Letter

Rec. 23/5/2022

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक एफ.23(क)(6)गृह–2/2020 जयपुर, दिनांक 22/7/2020

1. महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर।
2. महानिदेशक गृह रक्षा, राज. जयपुर।
3. महानिदेशक कारागार, राज. जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज. जयपुर।

विषयः–गृह विभाग को भिजवाये जाने वाले विराम भत्ता प्रकरणों के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रायः यह देखा गया है कि गृह विभाग को भिजवाये जाने वाले दैनिक भत्ता (विराम भत्ता) स्वीकृति प्रकरण/प्रस्ताव अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में समयबद्ध स्वीकृति जारी किया जाना संभव नहीं हो पाता है जिससे संबंधित को इनसे मिलने वाले परिलाभों से वंचित रहना पड़ता है। अतः शासन को प्रेषित किए जाने वाले दैनिक भत्ता (विराम भत्ता) प्रकरणों में संलग्न प्रोफार्मा में अंकित बिन्दुओं का समावेश अनिवार्य रूप से करते हुये सॉफ्ट कॉपी home.police@rajasthan.gov.in पर भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

22/07/2020

(रामनिवास मेहता)

o/c संयुक्त शासन सचिव,गृह(पुलिस)

सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112, प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचि. जयपुर T.No. 0141-2227294/Ext. 22325,22324 (Typing/ 42)

यात्रा भत्ता नियमान्तर्गत दैनिक भत्ता (विराम भत्ता) के प्रकरण भिजवाये जाने हेतु प्रोफार्मा

कार्मिक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन मुख्यालय	यात्रा प्रारम्भ करने का स्थान, दिनांक एवं समय	मुख्यालय पर यात्रा से वापस लौटने की दिनांक एवं समय	कुल विराम दिवसों की संख्या	विराम अवधि के दौरान लिये गये अवकाश की संख्या	अवकाश के दिनों को घटाने के बाद कुल शेष विराम दिवस	विराम अवधि के दौरान निशुल्क भोजन–आवास की सुविधा प्राप्त करने अथवा नहीं की जानकारी (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	जिस नियंत्रण अधिकारी के अधीन विराम अवधि में रहे है उसका ड्यूटी प्रमाण पत्र कमांक दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	यात्रा हेतु सक्षम नियन्त्रण अधिकारी द्वारा जारी आदेश कमांक दिनांक (आदेश प्रति संलग्न करें)	टिप्पणी / विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10